कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना (म.प्र.)
दूरभाष न0–07672-299660 Email – gmcsatna150@gmail.com

क्रमांक 996 /स्था./जी.एम.सी./2025 सतना, दिनांक 10/02/2025

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।

विषयः– तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की वेबसाइट में प्रकाशन के संबंध में।

सन्दर्भः– कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 990/स्था./जीएमसी/2025, सतना, दिनांक 10.02.2025

–––00–––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना की वेबसाइट निर्माणाधीन है। अतः सन्दर्भित विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि संचालनालय की वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार (07 पेज)।

(डॉ. शशिधर प्रसाद गर्ग)
अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

पृ क्रमांक........................./स्था./जीएमसी/2025 सतना, दिनांक.....................

प्रतिलिपिः– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय– **भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शिवपुरी, दतिया, विदिशा, खण्डवा, रतलाम, छिंदवाड़ा, शहडोल, मंदसौर, नीमच, सिवनी** की ओर विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने का अनुरोध है।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना (म0प्र0)

कार्यालय अधिष्ठाता,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना (म.प्र.)

दूरभाष न0–07672-299660 Email – gmcsatna150@gmail.com

क्रमांक.......990......./स्था./जी.एम.सी./2025 सतना, दिनांक 10/02/25

–:: वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से दिव्यांगजनों की भर्ती हेतु विज्ञापन ::–

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 8–2/2013/आ.प्र./एक दिनांक 04.01.2024, क्र./एफ 07–19/2019/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 14.02.2024 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 620/स्था./अराज./2024, भोपाल, दिनांक 28.06.2024 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 196 दिनांक 26.06.2023 द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2023 के प्रावधान अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना में विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत दिव्यांगजनो के लिये आरक्षित पदो की पूर्ति वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों का विवरणः–**

क्र.	पदनाम	निःशक्तजन के लिए आरक्षित श्रेणी					रिमार्क
		VH	EH	LD	MD	Total	
1	टेक्नीशियन	00	00	02	00	02	दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों पर जिस श्रेणी का अभ्यर्थी चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा।
2	टेक्नीशियन असिस्टेंट	00	00	02	00	02	
3	लैब अटेंडेंट	00	00	02	00	02	

(VH= Visual Handicapped; EH= Ear Handicapped; LD= Loco Motor Disability; MD= Multiple Disability)

2. **पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा (दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में)**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञाप क्रमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04.07.2019 के माध्यम से राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा **18 से 45 वर्ष** तक होगी।

3. **पद का नाम, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमानः–**

क्र.	पदनाम	वेतनमान	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता
1.	टेक्नीशियन	**सातवां वेतनमान** **28700–91300, लेवल–7**	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र। 3. मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन।
2.	टेक्नीशियन असिस्टेंट	**सातवां वेतनमान** **19500–62000, लेवल–4**	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र। 3. मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन। 4. 100 बिस्तर के चिकित्सा संस्था में 01 वर्ष का अनुभव।
3.	लैब अटेंडेंट	**सातवां वेतनमान** **15500–49000, लेवल–1**	बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

3.1 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी/3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 द्वारा 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

निरन्तर......02

4. **<u>आरक्षण संबंधी दिशा निर्देशः–</u>**

4.1 पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

4.2 जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण मध्यप्रदेश राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

4.3 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8–4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल, दिनांक 03.07.2018 अनुसार जिन दिव्यांगजनो की निःशक्तता अधिक है, उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी।

4.4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

4.5 दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु निर्दिष्ट यू.डी.आई.डी. पोर्टल द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगें। मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यंगता प्रमाण पत्र अमान्य होगा।

5. **<u>अनर्हताएंः–</u>**

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उस स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जावेगाः–

5.1 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या

5.2 चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या

5.3 भर्ती के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या

5.4 आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई होः–

a. कोई भी पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्त का पात्र नही होगा/नही होगीः परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

b. किसी भी उम्मीदवार को सेवा से या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारिरिक दोष से मुक्त न पाया जाए। परन्तु आपवादिक मामलों में किसी उम्मीदवार को, उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्यधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगीं।

निरन्तर......03

c. कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नही होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसी कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नही हैं।

d. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परन्तु जहाँ तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

e. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो जिसमें दो से अधिक संतान का जन्म होता है किसी सेवा या पद पर नियुक्त के लिए निरर्हित नही होगा।

6. **आवेदन एवं वॉक–इन–इन्टरव्यू की प्रक्रियाः–**

a) इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं https://medicaleducation.mp.gov.in/ की वेबसाइट एवं **अधिष्ठता कार्यालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना** से प्राप्त कर सकेंगें।

b) आवेदक को निर्धारित मूल आवेदन फार्म एवं वांछित दस्तावेजों तथा उनकी 02 सेट छायाप्रतियों के साथ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना के एकेडमिक ब्लॉक में व्यक्तिगत रूप से **दिनांक 17.02.2025** को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

c) उपस्थित होने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने वाले उम्मीदवारों की विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

d) वॉक–इन–इन्टरव्यू हेतु उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।

7. **चयन की प्रक्रिया एवं मापदण्डः–**

मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2023 के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा निम्नानुसार निर्धारित मापदण्ड के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगीः–

7.1 **टेक्नीशियन एवं टेक्नीशियन असिस्टेंट के पद पर चयन हेतु मापदण्डः–**

a) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित पैरामेडिकल विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र में सकल प्राप्तांक प्रतिशत।

7.2 **लैब अटेण्डेंट के पद पर चयन हेतु मापदण्डः–**

a) 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा के बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में प्राप्तांक प्रतिशत।

निरन्तर......04

7.3 परस्पर मेरिट समान होने की दशा में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः–

1. टेक्नीशियन एवं टेक्नीशियन असिस्टेंट हेतु मेरिट सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो 12वीं परीक्षा में PCB में प्राप्त कुल अंकों को विचारण में लिया जावेगा एवं उस उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिसने PCB में अधिक अंक प्राप्त किये हों।
2. उपर्युक्त स्थिति में भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों की आयु को विचारण मे लिया जावेगा एवं अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। परन्तु लैब अटेण्डेंट के पद हेतु प्रथमतः इसी प्रक्रिया को अपनाया जावेगा।

8. **चयन एवं प्रतीक्षा सूचीः–**
चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर मेरिट के क्रम में रिक्तियों के अनुसार चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी, जोकि जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी।

9. भर्ती प्रक्रिया को किसी भी स्तर समुचित कारणों के साथ संशोधित एवं निरस्त किये जाने का अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना को होगा।

10/02/25

(डॉ. शशिधर प्रसाद गर्ग)
अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(दिव्यांगजनो के लिए विशेष भर्ती अभियान वर्ष 2025)

प्रति,

अधिष्ठाता,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना।
पिन 485001

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित फोटो

आवेदित पद का नाम ....

1.	आवेदक/आवेदिका का नाम	
2.	पिता/पति का नामः–	
3.	माता का नामः–	
4.	वर्तमान पता (स्पष्ट अक्षरो में):–	
5.	स्थाई पता (स्पष्ट अक्षरो में):–	
6.	मोबाईल नम्बरः–	
7.	ई–मेल आई.डी :–	
8.	जन्मतिथि (10वी/12वी अंकसूची के आधार पर)	
9.	आयु (दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में)	आयु :– वर्ष....................माह...............दिन...........
10.	जाति (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
11.	मूल निवासी प्रमाण–पत्र (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
12.	दिव्यांगता का प्रकार एवं दिव्यांगता का प्रतिशत (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
13.	यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह के प्रमाण–पत्र के अनुसार विवाह का दिनांक	
14.	जीवित बच्चो का विवरण (आयु एवं लिंग)	
15.	वर्तमान में शासकीय/स्वशासी/निगम/मण्डल संस्था/विभाग में कार्यरत हैं (हां/नही)	
16.	रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन (प्रमाण–पत्र संलग्न करे) :–	रोजगार कार्यालय का नाम एवं जिला................................ ....पंजीयन कमांक.......... ....पंजीयन दिनांक..

निरन्तर.....02

16. **शैक्षणिक योग्यताः—**

स.क्र.	परीक्षा का नाम एवं वर्ष	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

नोटः

1. 12 वीं परीक्षा के सन्दर्भ में पूर्णांक/प्राप्तांक कॉलम में केवल बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स के अंको का विवरण दर्ज करें।
2. उक्त उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता के संबंध में अन्य प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।

17. 100 बिस्तर के चिकित्सा संस्थान में कार्यानुभव (**केवल टेक्नीशियन असिस्टेंट के पद हेतु**):—

स. क्र.	संस्था का नाम	कार्यरत अवधि	कुल अनुभव (वर्ष एवं माह में)

18. उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी दस्तावेजो की स्पष्ट प्रतियां स्वयं अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत/संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम...

—::घोषणा पत्र::—

मै घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापन की सभी शर्ते भली—भांति पढ तथा समझ लिया है। उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गयी है, वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पाई जाती है, तो मेरा आवेदन/नियुक्ति निरस्त माना जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम...

(केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए)

कुमारी/श्री/श्रीमती... के पद.. पर दिनांक.................................से...तक कार्यरत है इनके द्वारा समस्त जानकारी इस आवेदन में प्रस्तुत की है, वह इस विभाग के अभिलेखानुसार सही एवं सत्य है यदि इनका चयन हो तो इन्हें कार्यमुक्त कर दिया जावेगा।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर/पदनाम एवं मुद्रा

—:चेक लिस्ट:—

संलग्न एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र.	संलग्न एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज	हां/नही/लागू नही
1.	10वीं की अंकसूची।	
2.	12वीं की अंकसूची।	
3.	पैरामेडिकल डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के समस्त परीक्षाओं की अंकसूची।	
4.	मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन।	
5.	डिजिटल मूल निवासी प्रमाण–पत्र।	
6.	डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र।*(यदि लागू)*	
7.	जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (केवल यू.डी.आई.डी. पोर्टल के माध्यम से जारी प्रमाण पत्र)।	
8.	वर्तमान में शासकीय/स्वशासी/निगम/मण्डल संस्था/विभाग में कार्यरत होने की दशा में सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।	
9.	रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन (पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
10.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र।*(यदि लागू)*	
11.	शासन द्वारा अधिकृत मान्य पहचान पत्र (आधार/पैनकार्ड/पासपोर्ट इत्यादि)	

हस्ताक्षर:...

अभ्यर्थी का नाम: ....

पिता का नाम: ....

पता: ....

....

मोबाइल: ....